दूरभाष : 05278–245957
फैक्स : 05278–248123

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0/प्रवेश/ 2017 दिनांकः 18 अगस्त, 2017

संशोधित–पत्र

अतिमहत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

सेवा में,
प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

विषय : शैक्षिक सत्र 2017–18 में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया प्रवेश समिति की दिनॉक 01–08–2017 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में सत्र 2017–18 से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में अधोलिखित निर्देश दिए जाते हैं–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में स्नातक एवं परा–स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थी अपना सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरण यथा– नाम, पूरा पता, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप, लिंग, श्रेणी, पाठ्यकम, ई0–मेल, मोबाइल नं0, आधार नम्बर आदि एवं अन्य शैक्षिक विवरण विश्वविद्यालय की बेवसाइट के **''एडमिशन 2017–18 पोर्टल''** पर भरे जाएगें। छात्रों द्वारा भरे गए सम्पूर्ण डाटा सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा अभिलेखों से पुष्टि करते हुए सत्यापित किये जाएगें।
2. स्नातक द्वितीय एंव तृतीय वर्ष एंव परा–स्नातक उत्तरार्द्व में महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थीयों के लिये भी उपरोक्त प्रकिया लागू होगी।
3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्राविधानानुसार प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2017 होगी। इस तिथि के तक प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं की विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, उपाधि शुल्क, क्रीड़ा शुल्क प्रति छात्र के अनुसार विश्वविद्यालय के सम्बन्धित खाते में महाविद्यालयों के कालेज लॉग–इन पर उपलब्ध चालान जनरेट करते हुए दिनॉक 31 सितम्बर, 2017 तक जमा करना अनिवार्य होगा।
4. महाविद्यालयों द्वारा यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से दिनॉक 31 अगस्त, 2017 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नही की जा सकी हो तो 15 सितम्बर, 2017 तक वे प्रवेश की सम्पूर्ण कार्यवायी पूर्ण करते हुए दिनॉक 30 सितम्बर, 2017 तक विलम्ब शुल्क रू0 200/– प्रति छात्र के अनुसार विश्वविद्यालय के सम्बन्धित खाते में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रवेशित समस्त छात्रों के लिए न्यूनतम 180 दिवसों का शिक्षण कार्य अनिवार्य होने के कारण शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय को 15 सितम्बर, 2017 के उपरान्त प्रवेश की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
6. महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रों का प्रवेश से सम्बन्धित पूरित विवरण को सावाधानी पूर्वक सत्यापित होने के उपरान्त कोई भी विवरण संशोधित नही किया जा सकेगा एवं सत्यापित छात्र का विवरण ही भविष्य में हाने वाली परीक्षा में प्रयोग किया जायेगा।

आदेशानुसार सत्र 2017–18 हेतु महाविद्यालयों द्वारा निम्नांकित मानकों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

(i) यदि महाविद्यालय में सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषय की सम्बद्धता सत्र 2016–17 में समाप्त हो गई है तो उस महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित विषय/पाठ्यकम की सत्र 2017–18 हेतु सम्बद्धता/विस्तरण प्राप्त किये बिना सत्र 2017–18 में किसी भी दशा में प्रवेश न लिया जाय। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा बिना सम्बद्धता/विस्तरण प्राप्त किये प्रवेश दिए गए हैं तो सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–729/2012 में पारित निर्णय दिनॉक 01–03–2013 के निर्देश के कम में प्रत्येक पाठ्यकम/विषय में स्वीकृत सेक्शन से अधिक सेक्शन में प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाय। विभिन्न पाठ्यकमों/विषयों में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों के

दूरभाष : 05278–245957
फैक्स : 05278–248123

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद (उ0प्र0)

सापेक्ष ही प्रवेश लिए जाएं। सीटों से अधिक संख्या में प्रवेश लिया जाना उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(6) के अन्तर्गत निरस्त किए जाने योग्य होगें। जिन पाठ्यक्रमों मे प्रवेश परीक्षा होती है, उनमें काउन्सिलिंग के माध्यम से ही प्रवेश किया जाना सुनिश्चित करें। महाविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त सीटों पर प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न न कराये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

(iii) उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्रांक संख्या–1191/सत्तर–2–2010 –3(58)/79 दिनॉक 11 जून, 2010 द्वारा प्रवेश में आरक्षण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iv) शैक्षिक सत्र 2017–18 में समस्त पाठ्यक्रमों/विषयों में सुव्यवस्थित रूप से कक्षा संचालन हेतु अर्हताधारी प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जाय। यदि शिक्षक महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं तो उनके प्रतिस्थानी का चयन प्रकिया पूर्ण कर अनुमोदन प्राप्त करने के साथ ही कार्यरत प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं का फोटोयुक्त विवरण कालेज लॉग–इन पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप (Teacher's Profile) पर अनिवार्य रूप से 31 अगस्त, 2017 तक अवश्य उपलब्ध करायें। यदि किसी महाविद्यालय में अर्हताधारी प्राचार्य/विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों की नियुक्ति नही की गयी है तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए महाविद्यालय प्रबन्धन स्वयं जिम्मेदार होगा।

(v) किसी संकाय के अन्तर्गत स्वीकृत विषय का प्रवेश उसी संकाय में ही किया जाय (यथा कला संकाय के विषय का प्रवेश विज्ञान के विषयपुंज में न लिया जाए)।

(vi) महाविद्यालय अपने परिसर एवं शिक्षण कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाना सुनिश्चित करें जिससे कि आगामी परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(vii) महाविद्यालयों द्वारा समस्त शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थित सुनिश्चत करते हुए प्रतिमाह उनकी उपस्थिति का साप्ताहिक विवरण कालेज लॉग–इन पर उपलब्ध प्रारूप पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाय जिससे कि सम्बन्धित महाविद्यालय में शिक्षण की स्थिति से अवगत हुआ जा सके।

(viii) अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2017–18 से सम्बन्धित सूचनाएं (डाटाबेस) जिन महाविद्यालयों द्वारा अपलोड नहीं की गई है, उन सभी महाविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सूचनाएं अपलोड कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

(ix) विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध रूसा प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2 पर Excel Format में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
4. समस्त प्रबन्धकगण, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
5. परीक्षा नियंत्रक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
6. उप कुलसचिव/समस्त सहायक कुलसचिव, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
7. प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त कालेज लॉग–इन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा प्रवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं अवधि का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु वेबसाइट को उक्तानुसार अपडेड किये जाने एवं कालेज लॉग–इन पर प्राप्त डाटा का संकलन कराते हुए समस्त सम्बन्धित विभाग को नियमित अन्तराल पर सूचित करना सुनिश्चित करें।
8. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
9. प्रधान सहायक, प्रवेश विभाग/सम्बद्धता विभाग/परीक्षा विभाग।

(संजय कुमार)
कुलसचिव